



कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) सीहोर
जिला सीहोर (म.प्र.)

अशासकीय संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र-नवीन
अधिनियम की धारा 50 नियम 22 (6)

क्रमांक/ 1/720680 /दि.स./2025-26

सीहोर दिनांक 07/01/2026

यह प्रमाणित किया जाता है कि अशासकीय संस्था वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन सीहोर, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) में कार्यरत है। संस्था को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (2) के अधिन दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूर्व में जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स.शि./2022-23/43 सीहोर दिनांक 11.01.2023 (तीन वर्ष) को नवीनीकरण, निरंतर आगामी (03 वर्ष) दिनांक 11/01/2026 से 10/01/2029 तक के लिये जारी किया जाता है, बशर्त यदि अधिनियम की धारा 51 (52) के तहत पंजीयन निरस्त न किया हो, वैध होगा।

प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए वैधता अवधि अवसान होने के 60 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा।

Digitally signed by

Balaguru K

Date: 07-01-2026

11:48:35

(बालागुरु के.)

कलेक्टर सीहोर

जिला सीहोर